

न्यायालय :- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गढ़वा

विविध वाद संख्या - 176/2019 धारा 107 दं०प्र०सं०

पिपान ठाकुर

वनाम

मनोहर ठाकुर पत्नी

25/01/20

यह अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत, गढ़वा में उपस्थापित किया गया। इस वाद की प्रक्रिया दिनांक 28/01/2019 को कायम होने के पश्चात् उभय पक्षकारों की उपस्थिति दिनांक 01/04/2019 को पूर्ण हो गयी है। इस प्रकार इस वाद की वैधानिक अवधि स्वतः पूर्ण हो चुकी है। इस बीच किसी पक्षकार की ओर से अवधि विस्तार हेतु कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच अब कोई शांति भंग होने की संभावना नहीं रह गयी है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि स्वतः कालवाधित हो जाने के फलस्वरूप वाद की कार्यवाही राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त की जाती है तथा पक्षकारों को इस वाद की दायित्व से मुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्यगण

1. 

2. 

3.

